PROJECT = SHREE KEDAR DHAM

- VILLAGE PALIYA, TEHSIL HATOD
- SURVEY NO- 674/3/4/2 & OTHER'S
- AREA = 2.025 HECTARE
- DEVELOPED BY- M/S HANUMANT BUILDER TARFEE PARTNER SUDHIR THAKKAR

Google location

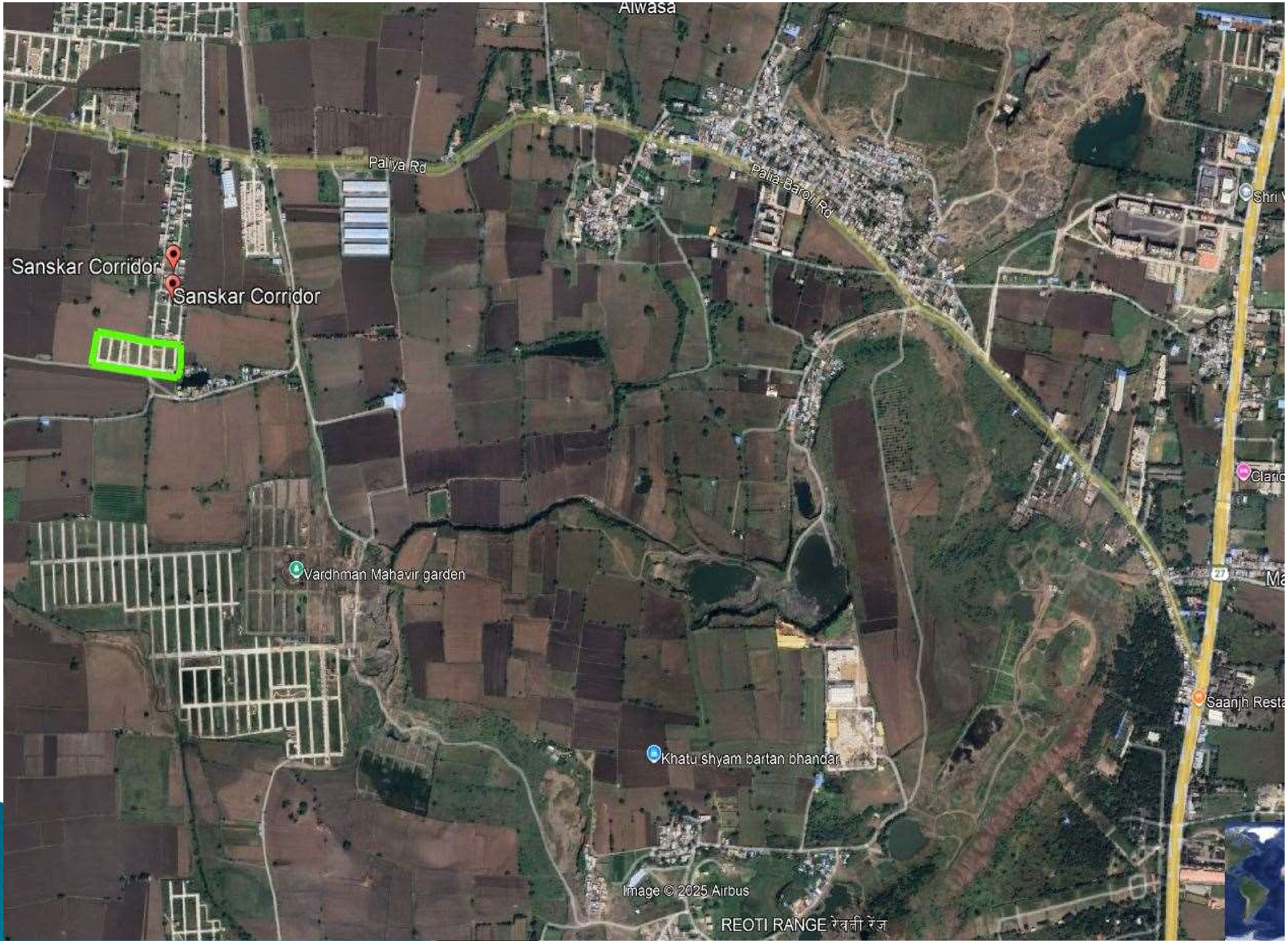

T & CP Map

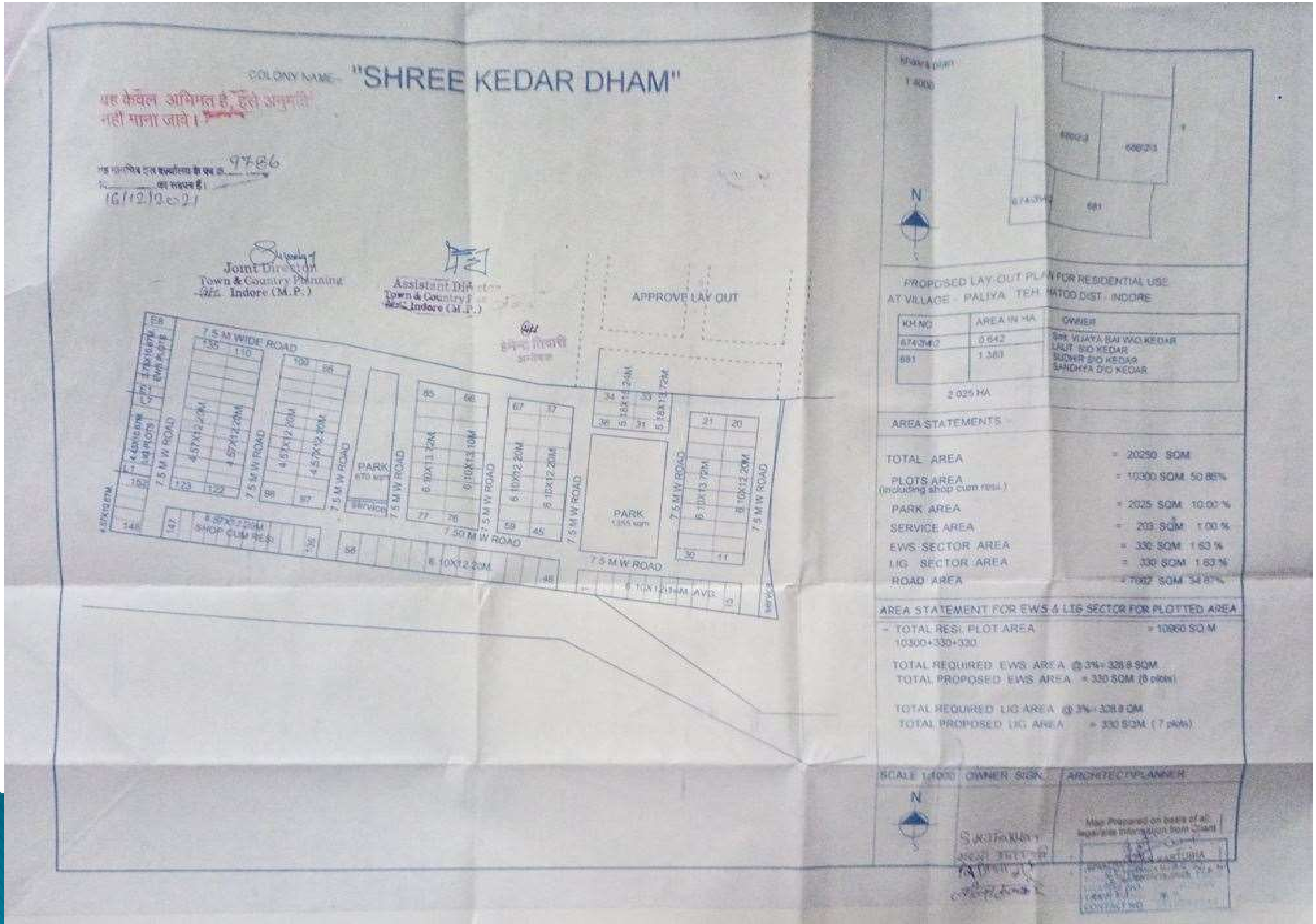

COLONY NAME- "SHREE KEDAR DHAM"
यह केवल अभिमत है, इसे अनुमति नहीं माना जावे।
Joint Director Town & Country Planning Indore (M.P.)
Assistant Director Town & Country Planning Indore (M.P.)
APPROVE LAY OUT
7.5 M WIDE ROAD
7.5 M W ROAD
7.50 M W ROAD
PARK
SHOP CUM RESI.
PROPOSED LAY OUT PLAN FOR RESIDENTIAL USE
AT VILLAGE - PALIYA TEH. HATOD DIST. INDORE
KH.NO
AREA IN HA
OWNER
2.025 HA
AREA STATEMENTS
TOTAL AREA = 20250 SQM
PLOTS AREA (including shop cum resi.) = 10300 SQM 50.86%
PARK AREA = 2025 SQM 10.00 %
SERVICE AREA = 203 SQM 1.00 %
EWS SECTOR AREA = 330 SQM 1.63 %
LIG SECTOR AREA = 330 SQM 1.63 %
AREA STATEMENT FOR EWS & LIG SECTOR FOR PLOTTED AREA
TOTAL RESI. PLOT AREA = 10960 SQ.M
10300+330+330
TOTAL PROPOSED EWS AREA = 330 SQM (8 plots)
TOTAL PROPOSED LIG AREA = 330 SQM (7 plots)
SCALE 1/1000
OWNER SIGN
ARCHITECT/PLANNER
N

Aerial View

Development Permission

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

प्रारूप–5
(नियम 9 (7) देखिए)
कालोनी विकास की अनुमति

अनुज्ञा क्र0/532/2023
प्र0क्र0 494/अ–74/2022–23

इन्दौर, दिनांक 26/3/2023

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के अधीन एतद् द्वारा ग्राम–पालिया हैदर, तहसील–हातोद, जिला–इंदौर में आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है :–

श्री / श्रीमती / मेसर्स	:–	भूमिस्वामी 1. श्रीमती विजया बाई पति श्री केदार ठक्कर, 2. श्री ललित पिता श्री केदार ठक्कर 3. श्री सुधीर पिता श्री केदार ठक्कर, 4. श्रीमती संध्या पिता श्री केदार ठक्कर तर्फे विकासकर्ता मेसर्स हनुमंत बिल्डकॉन प्रा. लि. तर्फे डायरेक्टर श्री सुधीर ठक्कर पिता श्री केदारलाल ठक्कर व अन्य
निवासी	:–	ई.के.–110, स्कीम नं. 54, शुभलक्ष्मी संस्था के पीछे, विजय नगर, इंदौर(म.प्र.)
कालोनी का नाम	:–	"श्री केदार धाम"

ग्राम–पालिया हैदर, तहसील–हातोद जिला–इंदौर स्थित भूमि खसरा नंबर 674/3/4/2 रकबा 0.642 हे., खसरा नंबर 681 रकबा 1.383 हे. कुल किता 2 कुल रकबा 2.025 हे. भूमि पर **"श्री केदार धाम" कालोनी** की उच्च स्तरीय समिति के समक्ष अनुमोदन उपरांत आवासीय भूखण्डीय प्रयोजन हेतु कालोनी विकास अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए प्रदान की जाती है–

1– म. प्र. भू-राजस्व संहिता 1959(20 सन् 1959) संशोधित नियम 2018 के उपबंधों के अधीन भूमि के व्यपवर्तन के लिये लागू शर्तों का अक्षरशः पालन करना होगा।

कलेक्टर
एवं अनुविभागीय अधिकारी
जिला इंदौर

Rera Certificate

Real Estate
Regulatroy Authority
Madhya Pradesh

म.प्र. भू-संपदा
विनियामक प्राधिकरण
मध्यप्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल, दूरभाष : 0755-2556340, 2556760
Website : www.rera.mp.gov.in, Email id : secretaryrera@mp.gov.in

प्ररूप - ग, नियम 6-(1)

परियोजना का पंजीयन प्रमाण पत्र

यह पंजीयन अधिनियम की धारा -5 के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजना के लिये दिया जा रहा है

पंजीयन क्रमांक : P-IND-23-4094

परियोजना का नाम : श्री केदार धाम, इन्दौर

परियोजना का विवरण पता सहित : ....

1. व्यक्ति के मामले में : श्री/श्रीमती .... पुत्र श्री/श्रीमती ....
.... तहसील .... जिला .... राज्य ....

अथवा

फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी के मामले में : हनुमंत बिल्डकॉन प्रा.लि., इन्दौर

फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी, इसका पंजीकृत कार्यालय/व्यापार का मुख्य स्थान 110, विजयनगर, ई के स्कीम नं. 54, इन्दौर-म.प्र.

2. यह पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया है :
   (i) संप्रवर्तक आवंटितियों के साथ विक्रय अनुबंध करेगा, जैसा कि मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के अनुलग्नक-A में प्रविहित किया गया है।
   (ii) संप्रवर्तक अधिनियम की धारा-17 के अनुसार आवंटितिगण या उनके संगम के पक्ष में, जैसा भी मामला हो, प्रकोष्ठ या परियोजना के सामान्य क्षेत्रों में अविभाजित अनुपातिक हक सहित हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा और इसका पंजीकरण करावेगा।
   (iii) संप्रवर्तक अधिनियम की धारा-4 उपधारा-(2) खण्ड (l) उपखण्ड (D) के प्रावधान अनुसार आवंटितिगण से वसूली गई रकमों का 70 प्रतिशत, केवल निर्माण के खर्चों एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिये, एक अनुसूचित बैंक में बनाये रखे जाने वाले पृथक खाते में जमा करेगा।
   (iv) पंजीयन दिनांक 11-07-2023 .... से प्रारंभ होकर दिनांक 19-03-2026 .... तक की अवधि के लिये विधिमान्य रहेगा, जब तक कि इसे भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा-7 और मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम-7 के अनुसार नवीकृत न कर दिया जावे।
   (v) संप्रवर्तक अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।
   (vi) संप्रवर्तक, जिस क्षेत्र में परियोजना का विकास किया जा रहा है वहां की अन्य किसी विधि के तत्समय प्रभावी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।
3. यदि संप्रवर्तक ऊपर उल्लेखित शर्तों को पूरा नहीं करता है तो भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण संप्रवर्तक के विरुद्ध अधिनियम, नियमों के प्रावधानों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकता है, जिसमें उसे प्रदान किये गये पंजीयन का प्रतिसंहरण भी सम्मिलित किया जा सकता है।
4. उक्त परियोजना प्रकरण भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की धारा 9,11,13,14,15 एवं 16 में उल्लेखित प्रावधानों के अध्यधीन मान्य किया जाता है।

दिनांक 21.07.2023
स्थान : भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुद्रा
म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

Phe Noc

कार्यालय कार्यपालन यंत्री,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड,
नर्मदा प्रोजेक्ट परिसर, मुसाखेडी, इंदौर, ई—मेल :— eephedind@nic.in

क्रमांक 3587 / तक. / का.यं. / लो.स्वा.यां.खण्ड / 2025—26 इंदौर दिनांक 21/10/2025

प्रति,

प्रभारी अधिकारी,
कार्यालय कलेक्टर, (कालोनी सेल)
जिला इन्दौर

विषय :— ग्राम—पालियाहेदर, तहसील—हातोद, जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे नं. 674 / 3 / 4 / 2, कुल रकबा 2.025 हैक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास कार्यो की पूर्णता एवं बंधक भूखण्ड निर्मुक्तिकरण करने बाबत्।

संदर्भ :— आपका ई पत्र दिनांक 11.08.2025

——————00——————

उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि, आवेदक भूमिस्वामी 1. श्रीमती विजया बाई पति श्री कैदार ठक्कर 2. श्री ललित पिता श्री कैदार ठक्कर 3. श्रीमती संध्या पिता श्री कैदार ठक्कर तर्फे विकासकर्ता मेसर्स हनुमंत बिल्डकॉन प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर श्री सुधीर ठक्कर पिता श्री कैदारलाल ठक्कर व अन्य के द्वारा ग्राम—पालियाहेदर, तहसील—हातोद, जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे नं. 674 / 3 / 4 / 2, कुल रकबा 2.025 हैक्टेयर भूमि पर विकसित कॉलोनी "SHREE KEDAR DHAM" का मौका जांच कर निरीक्षण प्रतिवेदन बिन्दुवार एवं कार्यपूर्णता का प्रमाणीकरण निर्धारित प्रपत्र में बनाया जाकर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

(संतोष कुमार साल्वे)
(संतोष कुमार साल्वे)
कार्यपालन यंत्री
कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड इंदौर
लो.स्वा.या. खण्ड, इन्दौर

Scanned with OKEN Scanner

//लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के विकास कार्य की गुणवत्ता का प्रतिवेदन//

ग्राम–पालियाहेदर, तहसील–हातोद, जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे नं. 674/3/4/2, कुल रकबा 2.025 हैक्टेयर भूमि पर विकसित कॉलोनी **"SHREE KEDAR DHAM"**

क्र.	कार्य का नाम	कार्य का स्तर
1	भूमिगत मलवहन प्रणाली में सेप्टिक टेंक की दिशा में बहाव का स्तर	अच्छा
2	चेम्बर का निर्माण	अच्छा
3	उर्ध्वस्थ पानी टंकियों से जल प्रवाह का दबाव	अच्छा
4	आंतरिक जल प्रदाय प्रणाली में जल बहाव	अच्छा
5	सेप्टिक टेंक के निर्माण का स्तर	अच्छा
6	पानी की टंकी की गुणवत्ता	अच्छी

(संतोष कुमार साल्वे)
कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, इन्दौर

(संतोष कुमार साल्वे)
कार्यपालन यंत्री
लो.स्वा.या. खण्ड, इन्दौर

Scanned with OKEN Scanner

PWD Noc

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 2 इन्दौर

क्रमांक 1818 /त.शा./2025–26 इन्दौर, दिनांक 21/8/2025

प्रति,

प्रभारी अधिकारी,
कॉलोनी सेल, इन्दौर

विषय :– ग्राम–Paliya Haidar तहसील– Hatod जिला–इन्दौर मे स्थित भूमी सर्वे क्रं 674/3/4/2 रकबा 0.6420 एव रकबा 1.3830 है कुल रकबा 2.0250 हे. भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास कार्यो की कार्य पूर्णता एवं बंधक निमुक्तिकरण करने बाबद्।

संदर्भ :– आपका कार्या० पत्र दिनांक 11/AUG/2025

–––000–––

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि आवेदक भूमीस्वामी 1. श्रीमती विजया बाई पति श्री केदार ठक्कर 2. श्री ललित पिता श्री केदार ठक्कर 3. श्री सुधीर पिता श्री केदार ठक्कर 4. श्रीमति संध्या पिता श्री केदार ठक्कर तर्फे विकासकर्ता मेसर्स हनुमंत बिल्डकॉन प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर श्री सुधीर पिता श्री केदारलाल ठक्कर व अन्य पता–ई.के–110 स्कीम न. 54 शुभलक्ष्मी संस्था के पिदे विजयनगर इन्दौर द्वारा ग्राम–Paliya Haidar तहसील– Hatod जिला–इन्दौर मे स्थित भूमी सर्वे क्रं 674/3/4/2 रकबा 0.6420 एव रकबा 1.3830 है कुल रकबा 2.0250 हे. भूमी पर विकसित आवासीय कॉलोनी **(कालोनी–SHREE KEDAR DHAM)** के कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं बंधक भूखण्ड निर्मुक्तिकरण करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

उक्त विकास कार्य पूर्णता एवं बंधक भूखण्ड निर्मुक्तिकरण के प्रकरण में बिन्दुवार अभिमत निम्नानुसार है :–

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	अवलोकित कॉलोनी की बाहर सीमा तक ग्राम की विद्यमान सड़क के बीच नई सड़क का निर्माण किया गया है अथवा नही (2 हेक्टर से कम की कॉलोनी के लिए न्यूनतम चौड़ाई 3.75 मीटर वान मार्ग तथा 6.00 मीटर सड़क मार्ग। अन्य के लिए 7.00 मीटर विभाजित वहन मार्ग तथा सड़क के दोनों और 1.80 मीटर का स्कन्ध) स्पष्ट अभिमत अंकित करें।	अवलोकित कॉलोनी की बाहर सीमा तक ग्राम की विद्यमान सड़क के बीच नई सड़क का निर्माण 7.50 मीटर चौड़ाई मे मार्ग निर्मित है।
2	कॉलोनी की बाहरी सीमा को मुख्य सड़क से जोडने वाले विद्यमान सड़क का पुर्ननिर्माण तथा चौड़ीकरण किया गया है अथवा नही (2 हेक्टर से कम की कॉलोनी के लिए न्यूनतम चौड़ाई 3.75 मीटर वहन मार्ग तथा 6.00 मीटर सड़क मार्ग। अन्य के लिए 7.00 मीटर विभाजित मार्ग तथा सड़क के दोनों और 1.80 मीटर का स्कन्ध) स्पष्ट अभिमत अंकित करें।	कॉलोनी की बाहरी सीमा को मुख्य सड़क से जोडने वाले विद्यमान सड़क/पहुँच मार्ग इन्दौर उज्जैन मार्ग से ग्राम पालिया जाने वाले मार्ग एवं पूर्व से निर्मित कॉलोनी – "संस्कार कॉरिडोर" एवं "क्लिफटन कारिडोर" मे सम्मिलित है।
3	प्रस्तावित सड़कों का निर्माण जिसमें विद्यमान सड़कों का चौड़ीकरण (भारतीय रोड कांग्रेस के मानकों के अनुसार) किया गया है अथवा नही, स्पष्ट अभिमत अंकित करें।	हाँ। किया गया है।
4	पुलियों का निर्माण (भारतीय रोड कांग्रेस के मानकों के अनुसार) किया गया है (यदि आवश्यक हो) इस सबंध में स्पष्ट अभिमत अंकित करें।	आवश्यक नही।
5	कॉलोनी के समतलीकरण के सबंध में, स्पष्ट अभिमत अंकित करें।	हाँ। कॉलोनी का ले–आउट समतल है।
6	अभिन्यास में स्वीकृत प्रस्स्तावित सड़कों तथा भूखण्डों का सीमांकन उपरांत पाई गयी स्थिति के सबंध में स्पष्ट अभिमत अंकित करें।	सड़कों का निर्माण एवं भूखण्डों का सीमांकन स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पाया गया है।
7	सड़क के बगल में वृक्षारोपण 4.5 फिट ऊँची चहारदीवारी के साथ बच्चों का खेल मैदान होना पाया गया है अथवा नही, स्पष्ट अभिमत अंकित करें।	बच्चों के खेल का मैदान पाया गया है ।
8	अन्य कार्यो का विवरण।	कालोनाइजर द्वारा इस विभाग से संबधित सभी कार्य किये है।

सहपत्र :– प्रमाणीकरण पत्र संलग्न है

कार्यपालन यंत्री,
लो.नि.वि. संभाग क्र. 2 इन्दौर

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि. संभाग क्र. 2, इन्दौर

//लोक निर्माण विभाग, के विकास कार्य की गुणवत्ता का प्रतिवेदन //

ग्राम–पालिया हैदर तहसील– हातोद जिला–इन्दौर मे स्थित भूमी सर्वे क्रं 674/3/4/2 रकबा 0.6420 एव रकबा 1.3830 है कुल रकबा 2.0250 हे. भूमी पर विकसित आवासीय कॉलोनी

(कालोनी– श्री केदार धाम)

क्र.	कार्य का नाम	कार्य का स्तर
1	सडक के निर्माण का स्तर	उत्तम
2	सडक के स्कन्ध का स्तर	उत्तम
3	पुलिया के निर्माण का स्तर	पुलिया की आवश्यकता नही
4	बगीचा/खुला क्षैत्र मे किये गये कार्य	उत्तम

कार्यपालन यंत्री,
लो.नि.वि. संभाग क्र. 2 इन्दौर

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि. संभाग क्र. 2, इन्दौर

Mpeb Noc

कार्यपालन यंत्री (सं./सं.) संभाग म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. देपालपुर जिला-इन्दौर (म.प्र.)

(म.प्र. सरकार का एक उपक्रम)

CIN Number:- U40109MP2002SGC015121

Ph. No. 07322 –222229 Email ID:- ee.depalpuronm@mpwin.co.in eeomdepalpur@yahoo.com

क्रमांक 3191..../कायदे/स.स./कार्य-एचटी/2025-26 देपालपुर,दिनांक 09/09/25

प्रति,

संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी, कॉलोनी सेल
कार्यालय कलेक्टर जिला, इंदौर
(प्रशासनिक संकुल, कक्ष क्रं. 111)

विषयः- <u>ग्राम पालिया हैदर तहसील हातोद जिला इन्दौर, की भूमि सर्वे क्रं. 674/3/4/2, 681 कुल रकबा 2.025 हे. भूमि पर विकसित कालोनी धरोहर के रूप में बंधक रखे गए भूखंड निर्मुक्तिकरण के प्रकरण में बिंदुवार मौका निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबद।</u>

सन्दर्भः- आपके कार्यालय का ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रंमाक निरंक इंदौर, दिनांक 11-08-2025।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र द्वारा आवेदक भूमिस्वामी - 1. श्रीमती विजयाबाई पति श्री केदार ठक्कर 2. श्री ललित पिता श्री केदार ठक्कर 3. श्री सुधीर पिता केदार ठक्कर 4. श्रीमती संध्या पिता श्री केदार ठक्कर तर्फे मेसर्स हनुमंत बिल्डकॉन प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर श्री सुधीर पिता केदार ठक्कर व अन्य पता - ई.के.-110, स्कीम नं. 54, शुभलक्ष्मी संस्था के पीछे विजय नगर, इंदौर, म.प्र., द्वारा ग्राम पालिया हैदर तहसील हातोद जिला इन्दौर, की भूमि सर्वे क्रं. 674/3/4/2, 681 कुल रकबा 2.025 हे. भूमि पर विकसित कॉलोनी **"SHREE KEDAR DHAM"** के कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र एवं बंधक भूखंड निर्मुक्त, करने हेतु बिंदुवार मौका जांच कर निरीक्षण प्रतिवेदन चाहा गया है। जो कि निम्नानुसार है:-

स्वीकृत प्राक्कलन ई.आर.पी. क्रमांक 396993 दिनांक 22-07-24 कार्यादेश क्र. 1568 दिनांक 27/08/24

01	कॉलोनी की सीमा से विद्यमान विद्युत उर्जा केंद्र तक विद्युत लाईन बिछायी गई है अथवा नही। स्पष्ट अभिमत अंकित करें।	हॉं, कार्य पूर्ण हो चुका है।
02	आंतरिक विद्युत प्रणाली के अधीन विद्युत खंभो आदि लगाये गये है (मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल के मानको के अनुसार) स्पष्ट अभिमत अंकित करें।	हॉं, कार्य पूर्ण हो चुका है।
03	अन्य कार्यो का विवरण।	**(1)** 11 KV LINE ON H-BEAM (With Gaurding) – 0.03 KM **(2)** 315 KVA DTR ON 11 Mtr. H-BEAM – 2 NO. **(3)** 100 KVA DTR ON 11 Mtr. H-BEAM – 1 NO. **(4)** LT LINE ON RSJ WITH 150 SQMM AB CABLE – 0.14 KM. **(5)** LT LINE ON RSJ WITH 95 SQMM AB CABLE – 0.810 KM. **(6)** 11 KV Tapping Pole H-beam – 01 No.

अतः विद्युत कार्यो का निरीक्षण कर बिंदुवार जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा/अभिमत सहित आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सही/-
कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.)
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. देपालपुर

प्रतिलिपिः- मेसर्स हनुमंत बिल्डकॉन प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर श्री सुधीर पिता केदार ठक्कर व अन्य पता - ई.के.-110, स्कीम नं. 54, शुभलक्ष्मी संस्था के पीछे विजय नगर, इंदौर, म.प्र.।

कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.)
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. देपालपुर

कार्यपालन यंत्री
म.प्र.प.वि.वि.कं.लि. देपालपुर

C:\Users\mppkvvcl\Documents\Work Section11\NOC\NOC Latter from 2015 to 2025.doc

Garden View

ROAD WORK

OHT =1,35,000
UGT= 65000

STP ROOM

STP Machine

Sewer Chamber

Storm Chamber

TUBEWELL

Electricity Supply

THANK YOU